निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,
बिहार, पटना।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 20.06.2023

श्री चन्द्रजीत प्रकाश, अंचलाधिकारी, अंचल– डुमरा, जिला– सीतामढ़ी 25,000/– रु0 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 20.06.2023 को निगरानी थाना कांड सं0–021/2023 दिनांक 19.06.2023 में **श्री चन्द्रजीत प्रकाश, अंचलाधिकारी, अंचल– डुमरा, जिला– सीतामढ़ी** को 25,000/– (पचीस हजार) रुपये रिश्वत लेते मोहल्ला– कैलाशपुरी, सीतामढ़ी स्थित एक मंजिला किराये के मकान से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

परिवादी श्री गौरी शंकर सिंह, पिता– स्व0 परशुराम सिंह, ग्राम– रामपुर परोरी (पश्चिमी), पो0– बनचौरी, थाना– पुनौरा, जिला– सीतामढ़ी द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 05.06.23 को शिकायत दर्ज कराया गया था कि आरोपी श्री चन्द्रजीत प्रकाश, अंचलाधिकारी, अंचल– डुमरा, जिला– सीतामढ़ी द्वारा जिला पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किये जाने के बावजूद भी अतिक्रमण हटाने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है।

ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में परिवादी द्वारा अनुरोध करने पर आरोपी द्वारा 25,000/– रु0 रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। आरोप सही पाये जाने के पश्चात् उपरोक्त कांड अंकित कर अनुसंधानकर्त्ता **श्री गोपाल कृष्णा, पुलिस उपाधीक्षक** के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया, जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त– श्री चन्द्रजीत प्रकाश, अंचलाधिकारी को 25,000/– रु0 रिश्वत लेते मोहल्ला– कैलाशपुरी, सीतामढ़ी स्थित एक मंजिला किराये के मकान से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को पूछताछ के उपरांत माननीय न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर में उपस्थापित किया जायेगा।

रिश्वत मांगने से संबंधित कोई भी शिकायत कार्यालय अवधि में ब्यूरो के टॉल फ्री नं0– 0612–2215033, 2215030, 2215032, 2215036, 2215037, 2999752, दूरभाष नं0–0612–2215344 एवं मोबाइल नं0– 7765953261 पर की जा सकती है।

'''''